फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री तहसीलदार कानोड बनाम विपक्षी : श्री उपखण्ड अधिकारी भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 34/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	
	दिनांक : 03.09.2024 पत्रावली पेश हुई। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम चोल पटवार हल्का मोतीदा तहसील कानोड की साबिक आराजी न. 5/1 रकबा 108 बिघा 19 बिस्वा बिलानाम दर्ज हैं जिसके नवीन सेटलमेंट बाद नये आरानी न. 41, 78, 79, 80, 81 बने उक्त आराजी न. को नवीन सेटलमेंट के बाद त्रुटि पूर्ण चारागाह दर्ज कर दिया गया जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से पाया की जमाबंदी संवत् 2070–73 की खाता संख्या नया 110 की आराजी न. 5/1 रकबा 108 बिघा 19 बिस्वा भूमि में महफुज चारागाह दर्ज रेकर्ड हैं तथा जमाबंदी संवत् 2078–81 से स्थाई की खाता संख्या नया 97 की आराजी न. 78, 79, 80, 81, 41 महफुज चारागाह दर्ज रेकर्ड है। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट हैं कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पुर्व में भी चारागाह दर्ज थी तथा वर्तमान रेकर्ड में भी चारागाह दर्ज हैं जिससे किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पायी जाती हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:41:34 IST
Reason: SelfAttested